

- (ii) शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अध्यापक पद के रिक्ति के लिए पंचायतीराज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अन्तर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु सीमा शिथिल रहेगा।
- (iii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापक-962, दिनांक-22.01.2021 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
- (iv) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक- 2447, दिनांक- 06.03.1990 के आलोक में; भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो। भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

4. चयन प्रक्रिया:- लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) के आधार पर।

> लिखित परीक्षा:-

(i) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) के लिए परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम निम्नलिखित होंगे:-

पत्र	विषय	प्रश्नों की संख्या	परीक्षा की अवधि	कुल अंक	अभ्युक्ति
1.	भाषा (अर्हता) एवं सामान्य अध्ययन	150 भाग-I-30, भाग-II-120	02:30 घंटे	150	प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 5) के लिए > यह पत्र दो भाग में होंगे यथा- भाग-I एवं भाग-II > भाग-I- भाषा (अर्हता) के लिए अंग्रेजी एवं हिन्दी/उर्दू/बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30 प्रतिशत अनिवार्य होगा। > भाग-II-सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल हैं। > उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT/NCERT से सम्बन्धित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। > सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा।
2.	भाषा (अर्हता), सामान्य अध्ययन एवं विषय	150 भाग-I-30, भाग-II-40 एवं भाग-III-80	02.30 घंटे	150	शिक्षा विभाग के अन्तर्गत मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए (वर्ग 6-8) > यह पत्र तीन भाग में होंगे यथा- भाग-I, भाग-II एवं भाग-III > भाग-I- भाषा (अर्हता) के लिए अंग्रेजी एवं हिन्दी/उर्दू/बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30 प्रतिशत अनिवार्य हो। > भाग-II-सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल हैं। > भाग-III- मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है:- गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी, उर्दू, संस्कृत तथा अंग्रेजी। नोट:-शिक्षा विभाग के अन्तर्गत वर्ग 6-8 के सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थी यदि Section-I में इतिहास विषय का चयन करते हैं, तो Section-II में भूगोल/ अर्थशास्त्र/राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे और यदि अभ्यर्थी द्वारा Section-I में भूगोल विषय का चयन करते हैं, तो Section-II में अर्थशास्त्र/राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। > उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT/NCERT से सम्बन्धित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा।

पत्र	विषय	प्रश्नों की संख्या	परीक्षा की अवधि	कुल अंक	अभ्युक्ति
3.	भाषा (अर्हता), सामान्य अध्ययन एवं विषय	150 भाग-I-30, भाग-II-40 एवं भाग-III-80	02.30 घंटे	150	शिक्षा विभाग के अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों तथा विशेष विद्यालय अध्यापक (वर्ग 9 से 10) एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत के लिए (वर्ग 6-10) ➤ यह पत्र तीन भाग में होंगे यथा- भाग-I, भाग-II एवं भाग-III ➤ भाग-I- भाषा (अर्हता) के लिए अंग्रेजी एवं हिन्दी/उर्दू/बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30 प्रतिशत अनिवार्य हो। ➤ भाग-II- एक सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल हैं। ➤ भाग-III- शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विशेष विद्यालय अध्यापक (वर्ग 9 से 10) के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है:- हिन्दी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, ललितकला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत एवं सामाजिक विज्ञान। नोट:- (i) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के वर्ग 6 से 10 के लिए विषय पत्र संगीत/कला एवं कम्प्यूटर को छोड़कर। संगीत/कला विषय के लिए संगीत एवं ललितकला को सम्मिलित कर परीक्षा ली जायेगी। (ii) शिक्षा विभाग के वर्ग 9-10/ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के वर्ग 6-10 के सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थी यदि Section-I में इतिहास विषय का चयन करते हैं, तो Section-II में भूगोल/ अर्थशास्त्र/राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे और यदि अभ्यर्थी द्वारा Section-I में भूगोल विषय का चयन करते हैं, तो Section-II में अर्थशास्त्र/राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। ➤ उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT/NCERT से सम्बन्धित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा।
4.	भाषा (अर्हता), सामान्य अध्ययन एवं विषय	150 भाग-I-30, भाग-II-40 एवं भाग-III-80	02.30 घंटे	150	शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों (वर्ग 11-12) के लिए ➤ यह पत्र तीन भाग में होंगे यथा- भाग-I, भाग-II एवं भाग-III ➤ भाग-I- भाषा (अर्हता) के लिए अंग्रेजी एवं हिन्दी/उर्दू/बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30 प्रतिशत अनिवार्य हो। ➤ भाग-II- एक सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल हैं। ➤ भाग-III- उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है:- हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित,

पत्र	विषय	प्रश्नों की संख्या	परीक्षा की अवधि	कुल अंक	अभ्युक्ति
					भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कम्प्यूटर साईंस, बिजनेस स्टडीज, एकाउंटेंसी, संगीत एवं उद्यमिता। ➤ उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT/NCERT से सम्बन्धित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा।

- भाषा (अर्हता) भाग-I Qualifying होगा।
- सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जानेवाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय (MCQ Objective) आधारित होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक (Negative Marking) नहीं होगा।

नोट:-बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली, 2023 की कंडिका-7(v) के आलोक में परीक्षा के लिए अर्हतांक नियत करने का विवेकाधिकार आयोग को होगा।

- "कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक संख्या-2374, दिनांक 16.07.2007 एवं पत्रांक 6706, दिनांक 01.10.2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे परीक्षा से बाहर हो जायेंगे" के साथ निम्नलिखित संशोधन "परन्तु कुल रिक्तियों अथवा कुल अभ्यर्थी दोनों में से जिसकी संख्या कम हो उसके कम से कम 75% तक (निम्नतर पूर्णांक में) अनुशांसा भेजने हेतु आवश्यकतानुसार उक्त अर्हतांक अभ्यर्थी हित में इस हद तक शिथिल रहेगा" को सम्मिलित किया जाता है।
- उक्त लिखित परीक्षा हेतु पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।

मेधा सूची:-

- शिक्षा विभाग/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत विद्यालय अध्यापकों के लिए मेधा सूची का निर्धारण:- लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक (भाग-II एवं III) के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय (भाग-III) का प्राप्तांक तथा चयनित विषय में समान अंक होने की स्थिति में भाषा (अर्हता) (भाग-I) विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा-क्रम निर्धारित होगा। भाषा (अर्हता) (भाग-I) विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जायेगी।
- अभ्यर्थी किसी एक ही विषय का चयन कर सकते हैं, जिस विषय में उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया है। यदि अभ्यर्थी एक या एक से अधिक विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हुये हों, उस स्थिति में भी अभ्यर्थी अपनी इच्छा से एक ही विषय का चयन कर सकते हैं।

नोट:-औपबधिक परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात् पूरक परीक्षाफल प्रकाशित नहीं किया जायेगा।

➤ साक्षात्कार:-

इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

➤ अधिमानता:-

- प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में एक से अधिक अध्यापक के पदों के लिए आवेदन देने की स्थिति में अपने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं उम्र के अनुरूप ही संवर्गों की प्राथमिकता (Priority) अंकित करते हुए एक ही ऑनलाइन आवेदन समर्पित करेंगे। सभी अभ्यर्थियों को अर्हता के अनुसार विद्यालय अध्यापक के विभिन्न श्रेणियों की अधिमानता ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की जानी है।
- मेधाक्रम के अनुसार सफल अभ्यर्थियों के द्वारा विद्यालय अध्यापक के लिए दी गई अधिमानता एवं रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर उन्हें एक पद ही आवंटित किया जायेगा। किसी एक अधिमानता के संवर्ग आवंटित हो जाने के पश्चात् शेष अन्य संवर्गों में अभ्यर्थित्व पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसपर अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं होगी। इस आशय की घोषणा अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन में करना होगा।
- शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों को आवेदन करने के समय तीन जिला का अधिमानता अवरोही क्रम में देना होगा। सफल अभ्यर्थियों के लिए जिला के लिए दी गई अधिमानता एवं मेधा के आधार पर उन्हें जिला का आवंटन किया जायेगा। अभ्यर्थी के मेधा के